

कार्यालय,
संघिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
चाचर पटेल जनसभनक।

संस्कृत-प्राचीन / वरिष्ठ सम्पादन / २०२० / १९१

संदर्भ संख्या: १५-३-२०२०

—४८५—

अधिकारी भवत्तरायन लक्ष्मीनारायण परिवार, नई दिल्ली/गोपीनाथ बहुमतिलाल अंगूष्ठ इनियर्स, नई दिल्ली प्राप्त होकिल राज 2020-21 द्वारा दिल्ली नगरपालिका स्थानीय लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनारायण को असुरक्षित प्रदान किए जाने की घटना प्राप्तिका विकास परिवार 2020 लक्ष्मीनारायण को सम्बद्धता/सम्बन्धित विकास परिवार द्वारा किए जाने हेतु दिनांक 14-6-2020 द्वारा अभ्यास वार्षिक विकास परिवार, चाहपाट लक्ष्मीनारायण की अपेक्षाकालीन परिवार लक्ष्मीनारायण वे यथेत् सम्पन्न हुए। यहां पर सुनिश्चित हाल तत् 2020-21 हेतु आपेक्षित नई संस्थानों तो धनबद्धता/सूची के संस्थानों लाभान्वी का सम्बुद्धा विस्तार/गार्डनिंग/प्रवेश उपकरण गुप्ति वाहित अन्य सभी पर विविध प्रकारों हाँ ताप 2020-21 हेतु संस्थानों परिवर्त विविध वार्षीय विविध घटा।

उम्रां में अमृतन से रामचंद्रामा लिखी थी। यह ज्ञान-संकलन का विषय था। उम्रां में अमृतन से रामचंद्रामा लिखी थी। यह ज्ञान-संकलन का विषय था।

“ निजी दोउ गे संवाधपित डिस्ट्रीक्या इन कार्गेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाए, जो प्राचीनिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के द्वारा भूमि के सम्बद्ध हैं। एवं सत्र 2020-21 हेतु फी0सी0आई0 द्वारा उन्हें याचारत अनुमोदन दिस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्कारों में फी0सी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुग्रह दिस्तार के अनुसार उनके नाम के सामूहिक औपचारिक प्रयोग संभाल के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद द्वारा समनुकूल दिस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा प्रियार-विभार्ता किया गया एवं सार्वसम्मति से फी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से समनुकूल प्रियार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-06-2020 को अग्निशमन समिति द्वारा दैरेक्टर में लिखे गए उपरोक्त बिषय पर अनुक्रम में निन्ह गांव के जनसंघिक गिरा परियट यह पर लखनऊ द्वारा साप. 2020-21 द्वारा विभागित हाई के आदेश पारंपरिक एवं सामाजिक प्रौद्योगिकी और व्यवस्था द्वारा दैरेक्टर द्वारा दिया गया है।

क्रम संख्या	प्राप्ति का नाम	प्राप्ति का वर्ग	प्राप्ति का वर्ग क्रम संख्या 2020-21 में नवीनीकृत परिवर्तन संख्या	प्राप्ति का वर्ग क्रम संख्या 2020-21 में नवीनीकृत परिवर्तन संख्या	
1	1001	कर्तव्य उत्तराधिकारी के द्वारा दुष्कर्तव्य के लिए लाभों की सुधारणा का प्रयोग।	क्रियात्मक कार्यालय	10	40

३४८

- ✓ समय रक्षणात्मकीर्ति/प्रौद्योगिकी द्वारा निपत्रित यी गवी चाही का पूर्ण यात्रा करेगी।
 - ✓ गवी जलास अंडा फार्मिंग लिमिटेड एट 1922 लाई आवेदित गिराव अंग्रेजीयाला 1912 अंग्रेजीय निपत्रिती-2011 तांने द्वारा निपत्रित गिराव एक अनुजलन करेगी ताका शुल्क निपत्रित गवी द्वारा निपत्रित शुल्क तीन गवी इन्हीं यात्रावालों द्वारा दृढ़ ३०,१००/- प्रतिवारा वी वापर करनेसी पाठ्यक्रम हो ३०- 45,000.00/-प्रतिवारा एक गवी दो गवी पाठ्यक्रमों द्वारा शुल्क गवी दो गवी पाठ्यक्रम ३- अंग्रेजीय दृढ़ ३०-22,500.00 प्रतिवारा शुल्क द्वारा

(२०१३ वर्षातील फोटो)

Digitized by srujanika@gmail.com / 2020 / 1972-3141

गद दिनांक: 15-09-2023

प्रतिरिप्ति-प्रमाणनाम्य/निदेशक, नहर इस्टर्न एप्पल और प्रोटोकॉल्स एंड सुपरेक्षन, के किसी माइक्रोसॉफ्ट की वित्तीय विभाग के लिए।

(प्राचीन भारतीय सिद्ध)

कार्यालय

संचित प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या - प्राविधि/परिषद सम्बद्धता/2021/3637

तिथि/महीना/दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय जाप:

झज्जिला भारतीय हक्कनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल अंधा हण्डिया, नई दिल्ली द्वारा प्राविधिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा सारीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: ५७/४४/२०२१ को परिषद वार्षिक सम्बद्धता में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व संघातित संस्थाएँ को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मार्ग पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में नियम संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1697-ROOTS INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION, BIJNOR

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी छाती का पूर्णता पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एवं 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमबाली 1992, सेमेस्टर विनियमबाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० ३०१५०.००/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०-४५०००.००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के जटिलिका) हेतु ₹०-२२५००.००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित विद्या जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यालयी किया जाना आवश्यक होगा। पीरिय निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु कीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो कीस की नवीनताम दरे लागू होंगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्राविधिक शिक्षा समितिया तथा उप समितिया, राज्यसभा को सम्बद्ध विषय ज्ञान) विनियमबाली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संषुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की सिफारिश में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनादेश ऐ अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से जागामी साल हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाए गए विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं नियंत्रक, प्राविधिक विनियमों आदेशों, नियंत्रणों का पालन करने के लिए जांच होगी।
- ✓ डिलोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संघर्ष में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था द्वारा उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा नियंत्रण एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मामायत्य द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संवित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिलोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रदेशीक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पीएसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय की उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अपवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबगाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

संधिव

प०स०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/0538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधनाचार्य/निदेशक, ROOTS INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION, BIJNOR



(सुनील कुमार सोनकर)

संधिव

कार्यालय.

संघित प्राविधिक शिक्षा परिषद.

उत्तर प्रदेश सरकारी।

संख्या - प्राप्ति परिषद सम्बद्धता। 2022/9978

लागूनाड़ा: दिनांक: 03/10/2022

कार्यालय ज्ञापन:

महिला भारतीय उत्तरीय शिक्षा परिषद, नई दिल्ली कार्मसी काउन्सिल अफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु शिक्षीय स्तरीय उत्तरीय शिक्षण संस्था भी को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त ग्राविधिक शिक्षा परिषद, उठेंगे सरकारी सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 03/10/2022 को परिषद कार्यालय ने सम्बद्धता समिति वी बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अवृद्धित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता बढ़ाव दिया गया और अब यहां पर विद्यार्थी करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति वी बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उठेंगे सरकारी सम्बद्धता सत्र 2022-23 हेतु नियमांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1697-ROOTS INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION, BIJNOR

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आ०० द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	40	40

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आ०० द्वारा निर्धारित वी गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992 विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30150.००/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹० 45000.००/- प्रतिवर्ष एवं एक तापा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹० 22500.००/- प्रतिवर्ष शुल्क हो प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्कों के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और सदनसार कार्यकारी किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा पदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनतम दरें लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवृद्धित उत्तरों की ही प्रतीक्षा दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं नियोगक, प्राविधिक शिक्षा, उठेंगे संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उठेंगे तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उठेंगे द्वारा बनाये गये नियमों/विनियमों/अदेशों पर्याप्त निर्देशों का पालन करने के लिये याचिकारी है।

- ✓ पदि संस्थान का ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद्, संपुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध पदि कोई बाद द्यायर किया जाता है तभा द्याएर बाद के संबंध में भा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार भी प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्भर किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश लघुगञ्ज द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार परहसीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्णत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना चाहकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साझ-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था जो शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रोगिनों के सम्बन्ध में समस्त अवधेष्यक जावस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गए अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का पदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संभालन में प्रधोग मिला जाता है और परिषद् को इसकी जानकारी होती है कि संस्था-उपरोक्त का प्रधोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था नी सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के बीचक रूपतीय निरीक्षण के दोरान पदि संस्था में भूमि, भवन, प्रधोगशाला, उपकरण एवं अन्य साझ-सज्जा ए०आई०सी०टी०ई०पी०सी०आई०/परिषद् के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनालय कार्यवाही की जायेगी।

(एफ०आर० खान)

सचिव

प०स०- प्राधिकारिक सम्बद्धता/2022/9679-9717

दिनांक: 03/10/2022

प्रतिलिपि-

प्रधानाधार्यानिदेशक, ROOTS INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION, BIJNOR

(एफ०आर० खान)

सचिव